राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई, राज्य आयोगाचे नागपूर व औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ आणि अधिनस्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ५०८ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२५ ते दि.३१.८.२०२५ या कालावधी करीता मुदतवाढ देण्याबाबत..



महाराष्ट्र शासन

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ग्रासंअ-२०२४/प्र.क्र.२५/ग्रा.सं.४

> हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. दिनांक: २० मार्च, २०२५.

वाचा :-

- १) शा.नि,अ.ना.पु.व.व ग्रा.सं.वि.क्र.संकिर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि.१८.४.२०२२
- २) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/ग्रासं-४, दि. २३.८.२०२४
- ३) शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.२५/ग्रा.सं.४, दि.२६.०९.२०२४
- ४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि. ०६.०९.२०२४
- ५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि.०३.०३.२०२५

शासन निर्णय :-

ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तसेच नागपूर व औरंगाबाद येथील खंडपीठ आणि जिल्हा स्तरावर, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग या कार्यालयांकरीता वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार अधिकारी/कर्मचारी वृदांची एकूण ५०८ अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदांच्या आकृतीबंधास संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर पदांमध्ये राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या नियमित ४०८ पदे तसेच बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या १०० मनुष्यबळाच्या सेवा अशा एकुण ५०८ पदांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

२. उपरोक्त वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.४ अन्वये विभागाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या ५०८ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ या कालावधीकरीता संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती.

- ३. उपरोक्त संदर्भ क्र. ५ अन्वये विभागाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील एकूण ५०८ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दि.०१.०३.२०२५ ते दि.३१.०८.२०२५ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे :-
 - 9) प्रस्तावित ५०८ पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्त नसावे.
 - २) प्रस्तावित पदे ही सुधारित आकृतीबंधातील मंजूर असून त्यामुळे सुधारित आकृतीबंधात अथवा संवर्गातही बदल होणार नाही.
- ४. यासाठी होणारा खर्च, "मागणी क्रमांक एम २ -२४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण १०१, प्रापण व पुरवठा (०४) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अन्वये राज्य परिषद, राज्य आयोग आणि जिल्हा मंच स्थापना करणे (०४) (०१) मुंबई शहर, (२४०८ ०२५१) आणि (०४)(०२) मुफसल (२४०८०२६२) दत्तमत, अनिवार्य, ०१ वेतन"या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.
- ५. उक्त शासन निर्णय, वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२५०३२०११२७०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(प्रज्ञा दगडू फटे) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

सोबत : परिशिष्ट "अ"

प्रति :-

- 9) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा व लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर.
- ३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
- ४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी , मुंबई.
- ५) वित्त विभाग, व्यय -१०/अर्थसं-१६/वित्तीय सुधारणा.
- ६) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवटा व ग्राहक संरक्षण विभाग.
- ७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
- ८) प्रबंधक(प्रशासन),राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई (२ प्रती)

- ९) प्रबंध क (विधी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर/ औरंगाबाद.
- १०) प्रबंधक, सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग.
- ११) कार्यासन अधिकारी(ना.पु.१२), अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय.
- १२) निवडनस्ती ग्रा.सं.४.

परिशिष्ट -अ शासन निर्णय क्र.ग्रासंअ-२०२४ /प्र.क्र.२५/ग्रासं-४ दि.१.३.२०२५ ते ३१.८.२०२५पर्यंत अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ

| अ) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई | | | | |
|---|------------------------|----------|--|--|
| अ.क्र. | पदाचे नाव | पदसंख्या | | |
| ٩. | प्रबंधक (विधी) | ٩ | | |
| ٦. | प्रबंधक | 9 | | |
| ₹. | लेखाधिकारी | ٩ | | |
| 8. | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | 3 | | |
| ٧. | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) | २ | | |
| ξ. | अधिक्षक | २ | | |
| 9. | जनसंपर्क अधिकारी | ٩ | | |
| ۷. | शिरस्तेदार | 3 | | |
| ۶. | सहायक अधिक्षक | २ | | |
| 90. | वरिष्ठ लिपिक | २ | | |
| 99. | वरिष्ठ अभिलेखापाल | ٩ | | |
| 97. | लिपिक टंकलेखक | દ્દ | | |
| 93. | बेलिफ | ٩ | | |
| 98. | वाहन चालक | ٩ | | |
| 94. | पोलीस शिपाई | ٩ | | |
| १६. | शिपाई | (9 | | |
| 90. | रखवालदार | 9 | | |
| ٩८. | सफाई कामगार | 9 | | |
| | एकूण | 30 | | |

| ड) राज्य आयोगाचे औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ | | | | |
|---|-----------------------|----------|--|--|
| अ.क्र. | पदाचे नाव | पदसंख्या | | |
| ٩. | प्रबंधक (विधी) | 9 | | |
| ٦. | लेखाधिकारी | 9 | | |
| 3. | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | २ | | |
| 8. | शिरस्तेदार | २ | | |
| ч. | अधिक्षक | 9 | | |
| ξ. | लिपिक टंकलेखक | 3 | | |
| 0. | शिपाई | 3 | | |
| ۷. | रखवालदार | 9 | | |
| | एकूण | 98 | | |

| क) राज्य आयोगाचे नागपूर परिक्रमा खंडपीट | | | | |
|---|-----------------------|----------|--|--|
| अ.क्र. | पदाचे नाव | पदसंख्या | | |
| ٩. | प्रबंधक (विधी) | ٩ | | |
| २. | लेखाधिकारी | ٩ | | |
| 3. | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | २ | | |
| 8. | शिरस्तेदार | २ | | |
| ч. | अधिक्षक | ٩ | | |
| ξ. | लिपिक टंकलेखक | 3 | | |
| 0. | शिपाई | 3 | | |
| ۷. | रखवालदार | ٩ | | |
| | एकूण | 98 | | |

| ब) जिल्हा आयोग | | | | |
|----------------|------------------------------|----------|--|--|
| अ.क्र. | पदाचे नाव | पदसंख्या | | |
| ٩. | प्रबंधक (वर्ग-२) (राजपत्रित) | 89 | | |
| ₹. | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | 30 | | |
| 3. | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) | 89 | | |
| 8. | सहायक लेखा अधिकारी | 89 | | |
| ч. | शिरस्तेदार | 89 | | |
| ξ. | सहायक अधिक्षक | 89 | | |
| 0. | अभिलेखापाल | 89 | | |
| ۷. | लिपिक टंकलेखक | 92 | | |
| ۶. | शिपाई | ८२ | | |
| | एकूण | 883 | | |
| | एकुण (अ+ब+क+ड) | ५०८ | | |

(प्रज्ञा दगडू फटे) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन